दीघा में पांच तरह के बनेंगे फ्लैट, वन बीएचके 20 लाख में

प्रस्ताव : आवासीय फ्लैट की कीमत 4000 व व्यावसायिक स्थानों की कीमत 8000 रुपए प्रति वर्ग फीट होगी, कमजोर व लोअर इनकम ग्रुप के लिए नौ हजार फ्लैट बनेंगे

अनिकेत त्रिवेदी | पटना

दीघा में 400 एकड़ में बनने वाली टाउनशिप में पांच तरह के फ्लैट बनेंगे। कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस (इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन), एलआईजी, एमआईजी, एचआईजी और प्रीमियम डुप्लेक्स। फ्लैट वन बीएचके से लेकर 4 बीएचके तक के होंगे।

प्रारंभिक दौर में फ्लैटों की कीमत 4000 रुपए प्रति वर्ग फीट प्रस्तावित है। व्यावसायिक स्थानों की कीमत 8000 रुपए प्रति वर्ग फीट होगी। वन बीएचके की कीमत 20 लाख और 4 बीएचके की 80 लाख रुपए होगी। कमजोर व लोअर इनकम ग्रुप के लिए नौ हजार फ्लैट बनाए जाएंगे। इसके लिए विभाग की तकनीकी कमेटी को रूप-रेखा बनाने की जिम्मेवारी दी गई है।

फ्लैट और उसकी कीमत

ईडब्ल्यूएस (इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन)		
500 वर्ग फीट	1 बीचएके	₹20 लाख
एलआईजी (लोअर इनकम ग्रुप)		
1000 वर्ग फीट	2बीएचके	₹40 लाख
एमआईजी (मिडिल इनकम ग्रुप)		
1500 वर्ग फीट	3बीएचके	₹60 लाख
एचआईजी (हाई इनकम ग्रुप)		
2000 वर्ग फीट	4 बीएचके	₹80 लाख

प्रीमियम डुप्लेक्स : इसकी कीमत अभी तय नहीं।

इस तरह मिलेगा फ्लैट

जिनका अभी घर है: 400 एकड़ में अभी करीब 700 लोग घर बनाकर रहते हैं। आवास बोर्ड पुनर्वास योजना के इन्हें फ्लैट निःशुल्क देगा। इसके लिए उन्हें आवास बोर्ड की ओर से जारी बंदोबस्ती शुल्क फॉर्म-2 भरना होगा। उन्हें घर के निर्माण का प्लिंथ एरिया और बिल्डअप एरिया के अनुसार फ्लैट मिलेगा।

जिनका व्यावसायिक प्रतिष्ठान है: जिनका इस क्षेत्र में व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, उन्हें आवास बोर्ड जमीन के मुआवजे के साथ प्रतिष्ठान के निर्माण पर हुए खर्च का भी भुगतान करेगा।

ये देने होंगे कागजात

कट आफ डेट 27 नवंबर 2013 तक का बिजली बिल या नगर निगम के होल्डिंग टैक्स का कागज।

आमलोगों के लिए

आमलोगों को फ्लैट देने के लिए आवास बोर्ड लॉटरी सिस्टम लागू करेगा।

तकनीकी समिति तैयार करेगी मॉडल

मास्टर प्लान में आगे की कार्रवाई की जिम्मेवारी तकनीकी समिति को दी गई है। समिति ले आउट प्लान, फ्लैटों के डिजाइन और अन्य सुविधाओं का पूरा मॉडल तैयार करेगी। इसके अध्यक्ष आवास बोर्ड के मुख्य अभियंता हैं।

मॉडल देखने के बाद स्वीकृति दी जाएगी

तकनीकी समिति मॉडल बना लेगी तो उसे देखा जाएगा। फिर स्वीकृति दी जाएगी। पहले से घर बनाकर रहने वालों को प्राथमिकता के आधार पर फ्लैट दिए जाएंगे। इसके लिए उन्हें आवेदन देना होगा।

- डीके शुक्ला, प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड